न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 22 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांट

1. हरीसिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह जी
2. पुरो बेवा विरधसिंह जातियान राजपुरोहित निवासीगण कोरणा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.नाथूसिंह पुत्र हेमसिंह
2.भूरसिंह पुत्र हेमसिंह
3.मोहनसिंह पुत्र हेमसिंह
4.भंवरसिंह पुत्र शंकरसिंह
5.मांगी देवी बेवा शंकरसिंह जातियान राजपुरोहित निवासीगण कोरणा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।
6.अणसी कंवर पत्नी मांगुसिंह, जाति राजपुरोहित निवासी कुड़ी भगतासनी, सांगरिया रोड़, जोधपुर।
7.भंवरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह
8.तुलसीदेवी बेवा इन्द्रसिंह
9.रूपसिंह पुत्र भीमसिंह
10.शिवसिंह पुत्र भीमसिंह
11.अर्जुनसिंह पुत्र भीमसिंह
12.हीरो कंवर बेवा भीमसिंह
13.जवाहरसिंह पुत्र देवीसिंह
14.तगसिंह पुत्र देवीसिंह जातियान राजपुरोहित निवासीगण कोरणा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।
15.राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा, जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा विविध प्रकरण संख्या 508 ए/2016 बअनवान हरीसिंह वगै. बनाम नाथूसिंह वगै. में पारित आदेश दिनांक 28.03.2018 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री संतोषकुमार भंसाली अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री अचलाराम थोरी रेस्पोडेंट 01 की ओर से।
3. वकील श्री पूनमाराम चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 02 से 12 की तरफ से।
4. वकील श्री लूणकरण शर्मा रेस्पोडेंट संख्या 13 व 14 की तरफ से।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः– 24.10.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सामलाती खातेदारी की भूमि मौजा कोरणा में खसरा संख्या 99 रकबा 02.01 बीघा, खसरा संख्या 104 रकबा 04.02 बीघा, खसरा संख्या 106 रकबा 02 बीघा, खसरा संख्या 108 रकबा 08 बिस्वा, खसरा संख्या 110 रकबा 01.17 बीघा, खसरा संख्या 114 रकबा 02.16 बीघा, खसरा संख्या 117 रकबा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 118 रकबा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 182 रकबा 01.18 बीघा कुल रकबा 16.06 बीघा एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

खसरा संख्या 105 रकबा 16.11 बीघा, खसरा संख्या 112 रकबा 04.15 बीघा, खसरा संख्या 113 रकबा 20.05 बीघा, खसरा संख्या 116 रकबा 03 बीघा, खसरा संख्या 195 रकबा 203 बीघा 06 बिस्वा कुल रकबा 247.17 बीघा अवस्थित है। नाथूसिंह खीवसिंह का लड़का नहीं है। नाथूसिंह पुत्र हेमसिंह का पुत्र है। इस संबंध में अपीलांट द्वारा सिविल न्यायालय में 420 का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। प्रार्थना–पत्र में नाथूसिंह को जाईन्दा पुत्र बताया गया है जबकि न्यायालय में गोदपुत्र बताया गया है। यदि वादग्रस्त आराजी को उतरदातागण द्वारा आगे से आगे बेचान कर हस्तान्तरण किया जाता है तो अपूरणीय क्षति अपीलांटगण को होने की वजह से अपीलांटगण के वाद का मकसद समाप्त हो जाता है और सुविधा का संतुलन भी अपीलांटगण के पक्ष में प्रमाणित है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया एवं सिविल प्रक्रिया संहिता का पालन नहीं करते हुए पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट की पत्रावली पर एकतरफा बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि नाथूसिंह खीवसिंह का लड़का नहीं है। नाथूसिंह पुत्र हेमसिंह का पुत्र है। इस संबंध में अपीलांट द्वारा सिविल न्यायालय में 420 का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। प्रार्थना–पत्र में नाथूसिंह को जाईन्दा पुत्र बताया गया है जबकि न्यायालय में गोदपुत्र बताया गया है। यदि वादग्रस्त आराजी को उतरदातागण द्वारा आगे से आगे बेचान कर हस्तान्तरण किया जाता है तो अपूरणीय क्षति अपीलांटगण को होने की वजह से अपीलांटगण के वाद का मकसद समाप्त हो जाता है और सुविधा का संतुलन भी अपीलांटगण के पक्ष में प्रमाणित है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया एवं सिविल प्रक्रिया संहिता का पालन नहीं करते हुए पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 13 व 14 ने अपनी बहस में बताया कि गोदनामे का कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया है। मौके पर कब्जा काश्त नहीं है। अतः अपीलांट का आवेदन स्वीकार किया जाता है तो मुझे कोई आपति नहीं है।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेंट गोद पुत्र है। रेस्पोडेंट रिकॉर्डेड खातेदार होने से बेचान करने का पूर्ण अधिकार है। दावा अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है अपना हक निर्धारित करवा पाते है तो वह

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

भविष्य की गर्भ में है। रेस्पोडेंट को सामाजिक प्रथा से गोद लिया गया था। रेस्पोडेंट रिकॉर्डेड खातेदार है जिसके विरूद्ध स्थगन आदेश पारित करना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत प्रक्रिया को अपनाते हुए पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 02 से 12 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि परिशिष्ट अ को यथावत रखा जावे। हमारे हक हिस्से में किसी प्रकार का स्थगन आदेश पारित नहीं किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि मूल वाद अभी भी अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलाधीन वादग्रस्त आराजी में उभयपक्ष के हितों का निर्धारण वाद के निस्तारण के बाद ही तय हो सकता है उससे पहले वादग्रस्त आराजी का बेचान/हंस्तातंरण हो जाता है तो मामले में अनावश्य लिटीगेशन बढेगा। वादग्रस्त आराजी का उतरदातागण द्वारा मौके एवं रेकर्ड की स्थिति में रदोबदल होने की पूरी आशंका है। यदि वादग्रस्त आराजी का आगे से आगे बेचान हो जाता है तो अपीलांटगण के हितों पर कुठाराघात संभाव्य है। इस दृष्टि से मामला पृथमदृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होते हैं। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा विविध प्रकरण संख्या 508 ए/2016 बअनवान हरीसिंह वगै. बनाम नाथूसिंह वगै. में पारित आदेश दिनांक 28.03.2018 अपास्त किया जाता है तथा रेस्पोडेंटस को जरिये अस्थाई व्यादेश पाबंद किया जाता है कि वे मामले के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी बेचान/हस्तांतरण नहीं करे तथा मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

24/10/19

(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 24.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24/10/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner